का॰ज्ञा॰सं॰ 13035/3/80-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 27.4.1981

विषय:- केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में केंद्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए विभिन्न उपबंध किए गए हैं। इन्हीं के आधार पर केंद्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है और सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त उपबंधों और सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में अनुवाद कार्य और कार्यान्वयन संबंधी मामलों की देखभाल के लिए पर्याप्त हिंदी पदों (हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी टाइपिस्ट आदि) का सृजन आवश्यक है।

3. केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के संबंध में, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से, इस विभाग के 6 अगस्त, 1973 के अ॰शा॰ पत्र संख्या ई-11015/17/73-रा॰भा॰ एकक (प्रति संलग्न) द्वारा कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित न्यूनतम पद इस प्रकार हैं:-

(क) मंत्रालयों/विभागों के लिए

(1) प्रत्येक मंत्रालय में एक वरिष्ठ हिंदी अधिकारी तथा प्रत्येक विभाग में एक हिंदी अधिकारी, तथा

(2) प्रत्येक मंत्रालय/स्वतंत्र विभाग में एक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक तथा तीन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक।

(ख) संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए

(1) 100 या 100 से अधिक कर्मचारियों (श्रेणी ''घ'' कर्मचारियों को छोड़कर) वाले प्रत्येक संबंध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिंदी अधिकारी;

(2) कम से कम 25 कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय में एक हिंदी अनुवादक। प्रत्येक 50 अतिरिक्त अनुसचिवीय पदों के लिए एक अतिरिक्त हिंदी अनुवादक और इस प्रकार सृजित किए गए अनुवादकों के पदों में से चौथा पद वरिष्ठ अनुवादक पद; और

(3) 25 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय में एक हिंदी टाइपिस्ट।

4. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 6 जुलाई, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-7 (2)-ई-समन्वय/79 तथा 7 सितम्बर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ एफ-(18)-ई-समन्वय/79 द्वारा सभी नए योजना-भिन्न (नान प्लान) पदों के सृजन पर सामान्य रोक लगा दी गई थी और ये निदेश दिए गए थे कि ऐसे पदों के सृजन पर होने वाले खर्च के बदले में बराबर की बचत दिखाई जाए। परंतु, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ही 3 अक्तूबर, 1979 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 7 (16)-ई-समन्वय/79 द्वारा, अन्य पदों के साथ-साथ, संविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पदों को उक्त सामान्य रोक से मुक्त कर दिया गया है। यह छूट सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन/कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन पर भी लागू है। अत: मंत्रालय आदि उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन के लिए आवश्यक प्रस्ताव बना सकते हैं।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने अपने 11 फरवरी, 1981 के अर्ध शासकीय पत्र सं॰ एफ-7(7)-ई-(समन्वय)/81 द्वारा सभी वित्त सलाहकारों को ये निर्देश दे दिए हैं कि इस विभाग के 6 अगस्त, 1973 के पत्र में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में आवश्यक हिंदी पदों को राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए न्यूनतम पद मानकर उसके सृजन पर विचार किया जा सकता है और ऐसे पदों को सामान्य चैन से मुक्त माना जा सकता है।

6. ऊपर दी गई पृष्ठभूमि में सभी मंत्रालयों से अनुरोध है कि इस विभाग के 6 अगस्त, 1973 के पत्र में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुपालन के लिए उपलब्ध पदों की समीक्षा कर ली जाए और जहां न्यूनतम पद उपलब्ध न हों वहां तत्काल उनके सृजन के लिए कार्यवाही की जाए। मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गई संख्या से अधिक या उच्चतर पदों की आवश्यकता होने पर ऐसे प्रस्तावों पर वास्तविक आवश्यकता के औचित्य/कार्य अध्ययन के आधार पर विचार किया जा सकता है।

7. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि यह स्पष्टीकरण अपने सभी संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में ला दें और उनसे इस बारे में उचित कार्यवाही करने को कहें।